न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी — श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या— 79/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या 2018/01141

इजलास

1. घनश्याम सिंह }
2. रणवीर सिंह } पुत्रान श्री नारायण सिंह जाति मीना निवासी ग्राम अडही तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर प्रकरण संख्या 125/2014 उनवानी घनश्याम बनाम सरकार।

उपस्थित—

1. श्री दिनेश शर्मा व मोतीराम शर्मा वकील अपीलांट।
2. राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक—02.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो. इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 36, 37, 41, 62, 63 वाके ग्राम अडही तहसील भरतपुर के वादीगण/अपीलांट काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी वादीगण/अपीलांट ने अपने पिता श्री नारायण की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त की है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण/अपीलांट की उक्त साबिक नम्बरान की सही सही पैमाइश नहीं करते हुये साबिक नम्बरान से जो हाल नम्बर बनाये है उनका रकबा घटा बढ़ा दिया है। इससे वादीगण/अपीलांट के हकूको पर भविष्य में जवाल आने का अंदेशा है। बन्दोबस्त विभाग को नम्बरान का रकबा घटाने व बढ़ाने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। मौके पर रकबा पूरा है। अतः वाद प्रस्तुत

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

कर रकवा दुरूस्ती करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस राजकीय अभिभाषक को बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। अपीलाण्ट की खातेदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान वाके ग्राम अड्डी तहसील भरतपुर जो कि अपीलाण्ट ने अपने पिता से विरासत में उनकी मृत्यु उपरान्त प्राप्त की है। उक्त साविक आराजी में से बन्दोबस्त विभाग ने नये नम्बर बनाते समय रकवा की कमी वेशी कर दी है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के रकवा से कमी पूर्ति नहीं चाहिये थी। समस्त हाल व साविक रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से दावा वादीगण अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर अपीलाण्ट व उनके अभिभाषक को बिना सुने ही दावा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि राजस्व कैम्प में केवल वह ही प्रकरण सुनने योग्य थे जिनमें पक्षकारान राजीनामा करते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिजी है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर दावा अपीलाण्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 03.04.2018 से अग्रिम पेशी दिनांक 07.05.2018 नियत की गयी थी एवं दिनांक 07.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कोई आदेशिका लिखी गयी एवं ना ही प्रकरण में कोई अग्रिम पेशी ही निर्धारित की गयी एव सीध दिनांक 10.05.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुरवारा में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारो को सुनवाई हेतु, कोई जारी शुदा नोटिस संलग्न नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर में मनमाने तरीके से लोक अदालत की भावना के विपरीत, उनकी अनुपस्थिति में, बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सहमति/राजीनामा भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा जाकर निर्णित किया गया हो। राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बावत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

अखिलेश कुमार विद्वान
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

2- यह कि वादीगण का खातदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]